कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 01 / 2016

अपीलकर्ता:– श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता), C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49–डी0एल0रोड़, देहरादून।

बनाम

उत्तरदाता:– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री राजेन्द्र प्रसाद उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2016, जो लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 01 मार्च, 2016 के माध्यम से दिनांक 08 मार्च, 2016 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से बिन्दु संख्या–01 एवं 04 से संबंधित सूचनायें लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से समय पर आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी। आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2016 के द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचनाएं निम्न प्रकार है:–

1– **बिन्दु संख्या–1** ***उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठन से अब तक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टी पर कितने रूप खर्च किए गए हैं केवल वर्षवार आंकड़े उपलब्ध करें।***

2– **बिन्दु संख्या–04** ***उत्तराखण्ड राज्य में ऐसी कितनी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियां है जो आरटीआई एक्ट–2005 की धारा–2(4) के अन्दर प्राधिकारी नामित है और उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।***

2- लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से उक्त वांछित बिन्दुओं पर इस आशय से समय पर सूचना उपलब्ध कराई गई थी कि वांछित सूचना कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध / धारित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रथम अपील दिनांक 15/03/2016 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 18 मार्च, 2016 को इस कार्यालय को प्राप्त हुई उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या-330 दिनांक 30 मार्च, 2016 के माध्यम से दिनांक 06 अप्रैल, 2016 को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु उक्त नियत तिथि को अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुए। अपील की सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करते हुए अपीलकर्ता को पुन: पत्र संख्या-353 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 के माध्यम से दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किंतु अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए, लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुए।

2.1 अपीलकर्ता द्वारा अपने प्रथम अपील आवेदन में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि,

लोक सूचना अधिकारी (अनुभाग अधिकारी) के नियंत्रण या अभिरक्षा में वांछित अभिलेख नहीं थे तो उनको ऐसे लोक प्राधिकारी को अंतरण कर दी जानी चाहिए थी, जिसके पास ऐसी सूचना धारित हो।

यह है कि यदि अनुभाग अधिकारी के नियंत्रण या अभिरक्षा में आंशिक सूचना थी तो उसको प्रदान किया जाना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया।

Ramvir

--2पर

3- अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय के पत्र दिनांक 01 मार्च, 2016 के माध्यम से प्राप्त हुआ था, के बिन्दु संख्या 01 एवं 04 में वांछित सूचनायें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध / धारित न होने के कारण आवेदक को पत्र संख्या- 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से तद्नुसार समय पर अवगत कराते हुए सूचना उपलब्ध करा दी गई थी । लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या-01 एवं 04 से संबंधित सूचनाओं के धारणाधिकार से संबंधित विभाग के संबंध में उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी न होने के कारण इसे धारा 6(3) के अन्तर्गत हस्तान्तरित नहीं किया जा सका।

4- इस प्रकार अपील के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तथा संबंधित पत्रावली के परिशीलन के आधार पर उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या- 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से यथा समयान्तर्गत आवेदक को वांछित सूचना धारित न होने के संबंध अवगत करा दिया गया था, तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

(रणवीर सिंह चौहान)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी /
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या- 370 XXV - 12 / 2008 (P2), दिनांक 11 अप्रैल, 2016।
प्रतिलिपि :-

1- श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता), C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49–डी0एल0रोड़, देहरादून।
2– लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(रणवीर सिंह चौहान)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 01/2016

अपीलकर्ताः– श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता), C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49–डी0एल0रोड़, देहरादून।

बनाम

उत्तरदाताः– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री राजेन्द्र प्रसाद उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2016, जो लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 01 मार्च, 2016 के माध्यम से दिनांक 08 मार्च, 2016 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से बिन्दु संख्या–01 एवं 04 से संबंधित सूचनायें लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से समय पर आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी। आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2016 के द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचनाएं निम्न प्रकार हैः–

1– **बिन्दु संख्या–1** ***उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठन से अब तक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टी पर कितने रूप खर्च किए गए हैं केवल वर्षवार आंकड़े उपलब्ध करें।***

2– **बिन्दु संख्या–04** ***उत्तराखण्ड राज्य में ऐसी कितनी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियां है जो आरटीआई एक्ट–2005 की धारा–2(4) के अन्दर प्राधिकारी नामित है और उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।***

2- लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से उक्त वांछित बिन्दुओं पर इस आशय से समय पर सूचना उपलब्ध कराई गई थी कि वांछित सूचना कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध / धारित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रथम अपील दिनांक 15/03/2016 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 18 मार्च, 2016 को इस कार्यालय को प्राप्त हुई उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या-330 दिनांक 30 मार्च, 2016 के माध्यम से दिनांक 06 अप्रैल, 2016 को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु उक्त नियत तिथि को अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुए। अपील की सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करते हुए अपीलकर्ता को पुनः पत्र संख्या-353 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 के माध्यम से दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किंतु अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए, लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुए।

2.1 अपीलकर्ता द्वारा अपने प्रथम अपील आवेदन में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि,

लोक सूचना अधिकारी (अनुभाग अधिकारी) के नियंत्रण या अभिरक्षा में वांछित अभिलेख नहीं थे तो उनको ऐसे लोक प्राधिकारी को अंतरण कर दी जानी चाहिए थी, जिसके पास ऐसी सूचना धारित हो।

यह है कि यदि अनुभाग अधिकारी के नियंत्रण या अभिरक्षा में आंशिक सूचना थी तो उसको प्रदान किया जाना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया।

Ranvir

--2पर

3- अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय के पत्र दिनांक 01 मार्च, 2016 के माध्यम से प्राप्त हुआ था, के बिन्दु संख्या 01 एवं 04 में वांछित सूचनायें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध / धारित न होने के कारण आवेदक को पत्र संख्या- 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से तद्नुसार समय पर अवगत कराते हुए सूचना उपलब्ध करा दी गई थी । लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या-01 एवं 04 से संबंधित सूचनाओं के धारणाधिकार से संबंधित विभाग के संबंध में उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी न होने के कारण इसे धारा 6(3) के अन्तर्गत हस्तान्तरित नहीं किया जा सका।

4- इस प्रकार अपील के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तथा संबंधित पत्रावली के परिशीलन के आधार पर उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या- 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से यथा समयान्तर्गत आवेदक को वांछित सूचना धारित न होने के संबंध अवगत करा दिया गया था, तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

(रणवीर सिंह चौहान)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी /
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या- 370 XXV - 12 / 2008 (P2), दिनांक 11 अप्रैल, 2016।
प्रतिलिपि :-

1- श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता), C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49–डी0एल0रोड़, देहरादून।
2– लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(रणवीर सिंह चौहान)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 01/2016

अपीलकर्ता:– श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता), C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49–डी0एल0रोड़, देहरादून।

बनाम

उत्तरदाता:– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री राजेन्द्र प्रसाद उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2014, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी।

2- लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रथम अपील दिनांक 15/03/2016 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 18 मार्च, 2016 को इस कार्यालय को प्राप्त हुई उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को दिनांक 06 अप्रैल, 2016 को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किंतु अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए। अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पुन: 11 अप्रैल, 2016 को उपस्थित होने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया किंतु अपीलकर्ता आज दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

3- अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र दिनांक 01 मार्च, 2016 के माध्यम से प्राप्त हुआ था, के बिन्दु संख्या 01 एवं 04 में वांछित सूचनायें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में धारित न होने के कारण आवेदक को पत्र संख्या 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से तद्नुसार अवगत करा दिया गया था। लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या-01 एवं 04 से संबंधित सूचनाओं के धारणाधिकार से संबंधित विभाग के संबंध में उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी न होने के कारण इसे धारा 6(3) के अन्तर्गत हस्तान्तरित नहीं किया जा सका।

4- इस प्रकार अपील के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर पत्र संख्या 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से आवेदक को समय पर उपलब्ध कराई गई सूचना से सहमत होते हुए अपील का निस्तारण किया जाता है।

(रणवीर सिंह चौहान)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी /
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या- XXV-12/2008 (P2), दिनांक अप्रैल, 2016।

प्रतिलिपि :- श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता), C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49–डी0एल0रोड़, देहरादून।

(रणवीर सिंह चौहान)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 01/2016

अपीलकर्ता:– श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता), C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49–डी0एल0रोड़, देहरादून।

बनाम

उत्तरदाता:– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री राजेन्द्र प्रसाद उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2014, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी।

2- लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रथम अपील दिनांक 15/03/2016 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 18 मार्च, 2016 को इस कार्यालय को प्राप्त हुई उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को दिनांक 06 अप्रैल, 2016 को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किंतु अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए। अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पुन: 11 अप्रैल, 2016 को उपस्थित होने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया किंतु अपीलकर्ता आज दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

3- अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र दिनांक 01 मार्च, 2016 के माध्यम से प्राप्त हुआ था, के बिन्दु संख्या 01 एवं 04 में वांछित सूचनायें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में धारित न होने के कारण आवेदक को पत्र संख्या 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से तद्नुसार अवगत करा दिया गया था। लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या-01 एवं 04 से संबंधित सूचनाओं के धारणाधिकार से संबंधित विभाग के संबंध में उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी न होने के कारण इसे धारा 6(3) के अन्तर्गत हस्तान्तरित नहीं किया जा सका।

4- इस प्रकार अपील के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर पत्र संख्या 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से आवेदक को समय पर उपलब्ध कराई गई सूचना से सहमत होते हुए अपील का निस्तारण किया जाता है।

(रणवीर सिंह चौहान)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी /
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या- XXV-12/2008 (P2), दिनांक अप्रैल, 2016।

प्रतिलिपि :- श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता), C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49–डी0एल0रोड़, देहरादून।

(रणवीर सिंह चौहान)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 01/2016

अपीलकर्ताः– श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता), C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49–डी0एल0रोड़, देहरादून।

बनाम

उत्तरदाताः– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री राजेन्द्र प्रसाद उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2014, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी।

2- लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रथम अपील दिनांक 15/03/2016 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 18 मार्च, 2016 को इस कार्यालय को प्राप्त हुई उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को दिनांक 06 अप्रैल, 2016 को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किंतु अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए। अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पुनः 11 अप्रैल, 2016 को उपस्थित होने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया किंतु अपीलकर्ता आज दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

3- अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र दिनांक 01 मार्च, 2016 के माध्यम से प्राप्त हुआ था, के बिन्दु संख्या 01 एवं 04 में वांछित सूचनायें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में धारित न होने के कारण आवेदक को पत्र संख्या 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से तद्नुसार अवगत करा दिया गया था। लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या-01 एवं 04 से संबंधित सूचनाओं के धारणाधिकार से संबंधित विभाग के संबंध में उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी न होने के कारण इसे धारा 6(3) के अन्तर्गत हस्तान्तरित नहीं किया जा सका।

4- इस प्रकार अपील के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर पत्र संख्या 255 दिनांक 11 मार्च, 2016 के माध्यम से आवेदक को समय पर उपलब्ध कराई गई सूचना से सहमत होते हुए अपील का निस्तारण किया जाता है।

(रणवीर सिंह चौहान)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी /
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या- XXV-12/2008 (P2), दिनांक अप्रैल, 2016।

प्रतिलिपि :- श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता), C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49–डी0एल0रोड़, देहरादून।

(रणवीर सिंह चौहान)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या /XXV–12/2008 देहरादून : दिनांक 16 अप्रैल, 2016

सेवा में,

श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता),
C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर,
49-डी0एल0 रोड़, देहरादून

विषयः– सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 15 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 06 अप्रैल, 2016 की तिथि निर्धारित की गयी थी, किन्तु निर्धारित तिथि पर आप सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए जिस कारण आपको सुनवाई का एक अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 11 अप्रैल, 2016 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को प्रातः 11.00 बजे उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर उत्तरी ब्लाक स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीया,

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 353 / XXV–12/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 353 / XXV–12 / 2008 देहरादून : दिनांक 06 अप्रैल, 2016

सेवा में,

श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता),
C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर,
49-डी0एल0 रोड़, देहरादून

विषयः– सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 15 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 06 अप्रैल, 2016 की तिथि निर्धारित की गयी थी, किन्तु निर्धारित तिथि पर आप सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए जिस कारण आपको सुनवाई का एक अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 11 अप्रैल, 2016 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को प्रातः 11.00 बजे उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर उत्तरी ब्लाक स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस / कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली / अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीया,

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 353 / XXV–12 / 2015, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 330 /XXV–12/2008 देहरादून : दिनांक 30 मार्च, 2016

सेवा में,

श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता),
C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर,
49-डी0एल0 रोड़, देहरादून

विषयः– सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 15 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 06 अप्रैल, 2016 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर उत्तरी ब्लाक स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीया,

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– / XXV–12/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 330 /XXV–12/2008 देहरादून : दिनांक 30 मार्च, 2016

सेवा में,

श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता),
C/O श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर,
49-डी0एल0 रोड़, देहरादून

विषयः– <u>सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 15 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 06 अप्रैल, 2016 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर उत्तरी ब्लाक स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीया,
Ranvir

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

<u>पृ0संख्या– 330 / XXV–12/2015, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Ranvir

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

सेवा में,

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी — दिनांक

04-सुभाष रोड, सचिवालय परिसर — 15.03.2016

देहरादून

(उत्तराखण्ड)

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम विभागीय अपील की धारा 19(6) के अन्दर निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अपीलार्थी

बनाम

अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 04-सुभाष रोड
सचिवालय परिसर, देहरादून
(उत्तराखण्ड)

आपको अवगत कराना है कि दिनांक:- 20.02.2016 को 04 बिन्दुओं पर लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव सचिवालय देहरादून से सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत चाही, जिसके प्रतिउत्तर में लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ निजी सचिव के पत्र संख्या:- 118/118-मु०स०/सू०अ०/2016 दिनांक:- 01.03.2016 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी-अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी-उत्तराखण्ड को बिन्दु संख्या:- 01 व 04 की सूचना उपलब्ध कराने

श्री सेमवाल
कु० श्री
(signature) 18/3/16
S.O/PIO

2.)

अभिलार्थी को बिन्दु संख्या :- 01, एवं 04 की सूचना उपलब्ध कराई जाए, जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 की उद्देशिका का उद्देश्यपूर्ण हो सके।

धन्यवाद!

15.03.2016

राजेन्द्र प्रसाद (अधिवक्ता)
C/o. श्री राजेश बंसल
बंसल स्टोर, 49-डी०एल० रोड
देहरादून (248001)
मो० 09897840458

(Election) Page 4/2

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 255 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 11 मार्च, 2016

सेवा में,

श्री राजेन्द्र प्रसाद, (अधिवक्ता),
C/O श्री राजेश गोयल,
कंसल स्टोर, 49– डी0एल0 रोड़,
देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र संख्या 118 दिनांक 01 मार्च, 2016 के साथ संलग्न अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत बिन्दु संख्या– 01 एवं बिन्दु संख्या 04 पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित दो बिन्दुओं की सूचना पर अवगत कराना है कि वांछित सूचना कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध नहीं है अर्थात वांछित सूचना उपलब्ध कराई जानी सम्भव नहीं है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

धारा 6(3)
लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष: 0135–2712100/2712200

पत्र संख्याः 118 /118–मु.स./सू.अ./2016 दिनांकः 01 मार्च, 2016

लोक सूचना अधिकारी,
निर्वाचन/गोपन/चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

आवेदक का दिनांक **20.02.2016** का संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून में **29.02.2016** को प्राप्त हुआ है, आपको मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि इसमें मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः यथोक्त।

(दिनेश चन्द्र गैरोला)
लोक सूचना अधिकारी,

पृष्ठांकनः /नि.स.–मु.स./सू.अ./2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि–श्री राजेन्द्र प्रसाद (अधिवक्ता) द्वारा श्री राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49–डी0एल0रोड़, देहरादून–248001 को सूचनार्थ। कृपया भविष्य में एक आवेदन पर एक या दो विभागों से संबंधित सूचना मागें। आप द्वारा मांगी गई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। अतः आपके आवेदन को संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अग्रसारित किया जा रहा है। कृपया प्रथम अपील संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी, निर्वाचन/गोपन/चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4, सुभाष रोड़, देहरादून को प्रेषित करें।

2. मुख्य लेखाधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न पोस्टल आर्डर सं0 756852 (रू0 10/–) को राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

श्री सेमवाल

2/3/2016
S.O.

(दिनेश चन्द्र गैरोला)
लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ निजी सचिव,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

सेवामें,
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
मुख्य सचिव कार्यालय
देहरादून
(उत्तराखण्ड)

दिनांक
20.02.2016

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत अनुरोध-पत्र।

महोदय,

1-) उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठन से अबतक राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टी पर कितने रुपए खर्च किए गए हैं केवल वर्षवार आंकड़े उपलब्ध करें।

2-) उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्तमान समय में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टी के पदाधिकारियों को किस-2 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

3-) दिनांक:-15.09.2014 को अनुरोधकर्ता के द्वारा शिकायत-पत्र (विभागीय कारवाई न होने सम्बन्धी) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन-देहरादून को सम्बोधित किया था। कृ. आप शिकायत-पत्र पर हुई कारवाई का विवरण, जाँच आख्या, टिप्पणी आदि सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत दें।

4-) उत्तराखण्ड राज्य में ऐसी कितनी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जो आरटीआई एक्ट-2005 की धारा 2(h) के अंदर प्राधिकारी नामित हैं और उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी नामित किया है।

प्रार्थी
20.02.2016
[illegible]
[illegible]
33F-158852 (IPO)
संलग्न है।

(हस्ताक्षर) 20.02.2016

राजेन्द्र प्रसाद (अधिवक्ता)
C/o. श्री राजेश [illegible]
[illegible] रोड
देहरादून (248001)
मो. [illegible]

दह टका দশ টাকা દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ دس روپے പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि பத்து ரூபாய் పది రూపాయలు

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO लोक सूचना अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

सत्यमेव जयते

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT
देहरादून
के डाकघर में अदा करें।

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE
राजेन्द्र प्रसाद
(अधिवक्ता)
देहरादून

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

33F 756852